

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2442] No. 2442] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3167(अ).—यत: दिल्ली मुख्य योजना जोन-जी की जोनल विकास योजना में अधोउल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कितपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.12.2010 की सं. का.आ. 3044(अ) की सार्वजिनक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपित्तयाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित प्राप्त आपत्तियां/सुझाव पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्या योजना- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली मुख्य योजना- 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

4771 GI/2016 (1)

संशोधन:

जोन डी में स्थित निम्नलिखित भू-क्षेत्र के भूमि उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:-

क्रम सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	दि.मु.यो 2021/ के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1.	जोन-जी के उप-जोन जी-3 पटेल रोड़ और नजफगढ़ रोड के बीच कार्नर में तिकोना पीएसपी मार्केट	1.80 हैक्टेयर	आवासीय (आरडी)	"सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (पीएस-1- अग्निशमन केन्द्र)	उत्तर : पटेल रोड दक्षिण : नजफगढ़ रोड पूर्व : पटेल रोड पश्चिम : आवासीय

[फा. सं. के-13011/24/2016-डीडी-I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2016

- **S.O.** 3167(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi/ Zonal Development Plan of Zone-G regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 3044(E) dated 24.12.2010 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section-44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, objections/suggestions received with regard to the proposed modifications, have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The details are as under:

S. No.	Location	Area (in Ha.)	Land use as per MPD-2021	Land use changed to	Boundaries
1.	Triangular PSP Pocket between Patel Road & Najafgarh Road in Sub-Zone G-3 in Zone-G.	1.80	Residential (RD)	Public & Semi- Public Facilities (PS-1: Fire Station)	North: Patel Road South: Najafgarh Road East: Patel Road West: Residential

[F. No. K-13011/24/2016-DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.